30/9/25 पत्रा० पेश हुई। अधि० उप० वादी का वादपत्र सिद्ध न किये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से क्रम में आकर दाखिल दफ्तर होवे।